रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937
No. 753] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 931(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग III) भर्ती नियम, 1964, को जहां तक उनका संबंध गैलरी सहायक और उद्यान पर्यवेक्षक के पदों से (ii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1965, को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भारतीय वनस्पति उद्यान) और सहायक संग्रहपाल (भारतीय वनस्पति उद्यान) के पदों से है। (iii) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वर्ग III और वर्ग IV पद), भर्ती नियम, 1974, को जहां तक उनका संबंध अर्किड सहायक के पद से है, (iv) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक) पद से संबंधित भर्ती नियम 1975, को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद से है । (v) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वैज्ञानिक सहायक स्तर II समूह ग (भर्ती नियम, 1990 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वनस्पति सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वनस्पति सहायक) भर्ती नियम 2015 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**–पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतनबैंड और ग्रेड वेतन वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है; वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति** –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनूसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वनस्पति सहायक	92 (2015)* * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह – ख, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड -2: 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख, खंड, हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए अवधारित की गई है)

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पतिविज्ञान/ कृषि/ उद्यान विज्ञान/वानिकी में एम एससी डिग्री।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं ।	दो वर्ष	70.65 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 29.35 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

वांछनीय : (1) कंप्यूटर उपयोजन का ज्ञान तथा वैज्ञानिक प्रकृति के रिपोर्ट लेखन के अनुभव के साथ पादप वर्गिकी/ उद्यान विज्ञान/वनवृक्ष विज्ञान/ पादप संग्रह का ज्ञान/पादपालय वर्गीकरण/संग्रहालय विज्ञान/उद्यानिकी कार्यों में दो वर्ष का अनुभव। (2) आठवीं कक्षा तक एक विषय के रूप में हिंदी आवश्यक। **टिप्पण 1 :** अर्हता अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के लिए किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति/प्रतिनुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे/प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वेतन बैंड –(i): 5200—20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. ऐसे ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की है। या (ii) : वेतन बैंड -1 5200—20,200 रु. + ग्रेडवेतन 2400 रु. में ऐसे उद्यान ओवरसियर जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1:** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी/पद के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए संबंधित श्रेणी/पद में विहित अर्हक सेवा को अधिकारियों द्वारा पूरा करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जायेगी।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये):** (क) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण –अध्यक्ष (ख) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा नामनिर्दिष्ट वैज्ञानिक 'जी', भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण -सदस्य (ग) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य (घ) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:** (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (क) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण –अध्यक्ष (ख) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य (ग) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा में जहां एक से अधिक पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर लागू होगा जिसके लिए ग्रेडवेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा. सं. 01/35/2011–सीएसबी]

आर. दलवानी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2015

G.S.R. 931(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of (i) the Botanical Survey of India (Class-III) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of Gallery Assistant and Garden Supervisor; (ii) the Botanical Survey of India (Class-I and Class-II posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as they relate to the post of Junior Scientific Officer (Indian Botanic Garden) and Assistant Curator (Indian Botanic Garden); (iii) the Botanical Survey of India (Class-III and Class-IV posts), Recruitment Rules, 1974, in so far as they relate to the post of Orchid Assistant; (iv) the Botanical Survey of India (Senior Scientific Assistant) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Senior Scientific Assistant; (v) the Botanical Survey of India (Scientific Assistant Level-II-Group 'C') Recruitment Rules, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Botanical Assistant in the Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Botanical Assistant) Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and the pay band, grade pay or pay scale. –** The number of posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification –** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living , has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Botanical Assistant	92 (2015) * *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 2: Rs. 9300- 34800/- plus Grade Pay - Rs. 4200/-	Selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any.	**Method of recruitment:** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for	**Essential:** M.Sc. Degree in Botany/Agriculture/Horti-culture/Forestry form a recognised university. **Desirable:** (I) Two years of experience in Plant taxonomy/Horticulture/Silviculture/Knowledge of plant collection/Herbarium Methodology/ Museology/Gardening activities alongwith knowledge of Computer application and experience of writing reports of scientific nature. (II) Must studies Hindi as a subject up to 8th standard.	Age: No; Educational Qualifications: No.	Two years	70.65% by direct recruitment, 29.35% by promotion failing which by direct recruitment.

receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar islands or Lakshadweep).	**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Senior Preservation Assistants in PB -1: Rs.5200-20200/- in the grade pay of Rs. 2800/- with 6 years' regular service in grade rendered after appointment thereto on a regular basis; or (ii) Garden Overseers in PB -1: Rs. 5200-20200/- in the grade pay of Rs. 2400/- with 10 years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note 1:** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post with due regard to the inter-se seniority of the officers of respective grade/post. **Note 2**: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotions):** (a) Director, Botanical Survey of India – Chairman; (b) Scientist G, Botanical Survey of India nominated by Director, Botanical Survey of India - Member; (c) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; and (d) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):** (a) Director, Botanical Survey of India –Chairman; (b) Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata – Member; and (c) Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata – Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

such qualifying/eligibility service. **Note 3**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Six Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a post for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. 01/35/2011-CSB]

R. DALWANI, Scientist 'G'

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.